खबर संक्षेप

निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण नियमों का पालन जरूरी

चंडीगढ़। प्रदेश सरकार की आरक्षण नीति का पालन राज्य की सरकारी यूनिवर्सिटी, डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में भी किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उक्त निर्देश उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक की ओर से सभी सरकारी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों, सरकारी कॉलेज व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्राचार्यों को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की आरक्षण नीति का पालन शिक्षण व गैर-शिक्षण पदों व दाखिलों के लिए किया जाएगा।

दर्शन आपदा प्रबंधन के उप सचिव नियुक्त

चंडीगढ़। सरकार ने बृहस्पतिवार को तुरंत प्रभाव से एचसीएस अधिकारी जगाधरी के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) दर्शन कुमार को आपदा प्रबंधन विभाग का उप सचिव लगाया है। उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए है।

बराला ने उपाध्याय को श्रद्धासुमन अर्पित किए

चंडीगढ़। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने बृहस्पतिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने पंडित उपाध्याय को याद करते हुए कहा कि उनके दर्शन और विचारों को आज सारा देश याद कर रहा है। उनके दिए मूल मंत्र अंत्योदय को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। बराला ने कहा कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर व अन्य को प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आदेश रद

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी के सहायक सचिवों, ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर को हरियाणा राज्य परिवहन में व रोडवेज स्टाफ आरटीए स्टाफ में एक साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजने के आदेश को हाईकोर्ट ने रद कर दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार पर आधारित बेंच ने कहा ट्रांसपोर्ट विभाग में जब रेगुलेटरी व कामर्शियल विंग है तो बगैर कर्मचारी की रजामंदी व दूसरी विंग में समान पद की नेचर का का कोई काम नहीं है तो प्रतिनियुक्ति पर भेजना उचित नहीं है। एक विंग में काम करने वाले कर्मचारियों को दूसरे विंग में तैनात करना, कानूनन खिलाफ है। इसी तर्क के साथ हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा जारी सभी प्रतिनियुक्ति आदेश रद कर दिया।

बल्लभगढ़ में 21 एकड़ पर आधुनिक बस टर्मिनल बनेगा

चंडीगढ़। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सभी सुविधाओं से लैस मॉडल बस टर्मिनल विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। लगभग 21 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस बस टर्मिनल में रिटेल, कमर्शियल और हॉस्पिटेलिटी जैसी तमाम सुविधाएं होंगी। बस टर्मिनल का निर्माण हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा और यह लगभग 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बृहस्पतिवार विभाग तथा कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान इसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति दे दी है। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा शीघ्र ही इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहर की प्राइम लोकेशन पर बनने वाले इस बस टर्मिनल में केवल बसों का ही ठहराव नहीं होगा बल्कि यह विभाग के लिए आय का भी एक महत्वपूर्ण जरिया बनेगा। उन्होंने कहा कि इसमें एक शानदार मॉल भी बनाया जाएगा जहां आमजन की जरूरतों के हिसाब से सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। यहां बैंकट हॉल, फूड कोर्ट और कपड़ों के शोरूम भी होंगे। साथ ही, कमर्शियल सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

प्रदेश में फॉरेंसिक लैब में अब मैनुअल नहीं होगा काम

अब थानों से कोडिंग कर सैंपल लैब में भेजे जाएंगे, गोपनीयता रहेगी बरकरार

योगेंद्र शर्मा ▶▶ चंडीगढ़

प्रदेश के एफएसएल मुख्यालय मधुबन और चार अन्य क्षेत्रीय लैब में कामकाज के पुराने तौर-तरीके पर विराम लग गया है। अब कोडिंग और बेहद गोपनीयता वाले आधुनिक सिस्टम के साथ कंप्यूटराइज्ड के बाद में सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे, जिसमें थाने में पूरी तरह अलग कोडिंग व लैब में अलग नंबर होगा अर्थात किसी भी मामले में मैनुअल दखल व पता करना बेहद ही टेढ़ी खीर वाली बात हो जाएगी।

■ प्रदेश में मधुबन के अलावा हिसार, पंचकूला, गुरुग्राम और रोहतक में क्षेत्रीय लैब

अहम बात यह है कि पहले परंपरागत तौर-तरीके से मामले के साथ में एफआईआर नंबर और थाना सारी जानकारी बेहद ही आसानी से पता कर ली जाती थी, जिसके बाद में तमाम तरह के खेल किए जाने के आरोप भी लगते रहे हैं। अब मधुबन मुख्यालय हो या फिर राज्य की अलग-अलग रीजनल लैब सभी में एडवांस सिस्टम लागू कर दिया गया है, कोडिंग के साथ में अहम मामलों के सैंपल थाने से अलग कोड के साथ में चलेंगे और मधुबन अथवा अन्य किसी लैब में वो नंबर भी बदल जाएगा। इस तरह से जांच करने वाले को भी नहीं पता लगेगा कि वो कौन से मामले की जांच रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इसके लिए एडवांस गोपनीय ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत कर दी गई है।

चालान से पहले देनी होगी रिपोर्ट

अब पारदर्शी और एडवांस व्यवस्था हो जाने के बाद में जांच के लिए आने वाले सैंपल को समयबद्ध तरीके से निपटारा भी जरूरी होगा क्योंकि कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था में अलर्ट और लंबित मामले को लेकर बार बार अलर्ट मिलेगा। वैसे प्रदेश में सबसे पहले मधुबन करनाल में मुख्यालय और बाद में अब चार जगह पर रीजनल लैब स्थापित कर दी गई हैं। जिसमें हिसार, मोगी नंद पंचकूला, भौंडसी गुरुग्राम और रोहतक सुनारियां हैं। मधुबन लैब में लंबे अंतराल से बदलाव को लेकर योजना तैयार हो रही थी लेकिन जमीनी हकीकत में इन्हें उतारने में लगातार देरी हो रही थी। लेकिन मूलभूत ढ़ांचे में सुधार से लेकर पदोन्नति के लटके मामलों में भी अब सारा कुछ पटरी पर लाने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। नई व्यवस्था में एफआईआर नंबर और डिटेल पता करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। मधुबन लैब और बाकी लैब से जुड़े सभी कर्मियों के प्रमोशन की भी पूरी तैयारी हो गई है। पुराने सभी मामलों का निपटारा करने के लिए भी आला अफसरों ने साफ कर दिया है। इन लैबों में हत्या, विसरा, दस्तावेजों की जांच, लाई डिटेक्टर, एनडीपीएस, क्राइम अंगेस्ट वूमैन मामले, केमिस्ट्री, फीजिक्स कई तरह की जांच करने की व्यवस्था है।

दो सौ सैंपल प्रतिदिन

मधुबन मुख्यालय सहित बाकी चार लैब में लगभग दो सौ मामले रोजाना आते हैं। पिछले साल पूरे साल में लगभग 17 हजार मामलों में जांच के लिए कई तरह के दस्तावेज, सैंपल, विसरा, महिला संबंधी अपराधों में सामग्री भेजी गई थी। आमतौर पर लैब में शुक्रवार और सोमवार को ज्यादा मामले आते हैं।

पांचों लैब आधुनिक उपकरणों से लैस

हरियाणा में फोरेंसिक साइंस लैब का काम पटरी पर आ जाने से लंबे वक्त तक परिणामों और न्याय का इंतजार करने वालों को राहत मिलेगी। पूर्व में पूरे राज्य में मधुबन पर ही सारा बोझ था लेकिन अब यह पांच हिस्सों में बंट गया है। बायोलाजी संबंधी सभी सैंपल, सीरोलाजी, कारतूस और हथियारों की जांच, दस्तावेजों के साथ-साथ ड्रग, नशीले पदार्थों आदि के सैंपल जांच सभी में सारी व्यवस्था आधुनिक तरीके से हो चुकी है। सूबे की मनोहरलाल सरकार ने हिसार, पंचकूला मोगीनंद, भौंडसी, रोहतक में रीजनल लैब की शुरुआत को लेकर जल्द से जल्द काम पूरा करने का लक्ष्य दिया था। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन एमडी और वरिष्ठ आईपीएस अफसर निदेशक हरियाणा लैब डाक्टर आरसी मिश्रा ने कहा कि राज्य में अब पुराने तौर तरीकों से काम नहीं बल्कि नई गोपनीय पारदर्शी व्यवस्था के तहत काम होगा।

लोगों को जल्द न्याय दिलाने में मदद मिलेगी: विज

प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि समय पर सैंपल जांच का परिणाम सामने आए और समय पर न्याय मिले, इसके लिए हमने रीजनल फोरेंसिक लैब स्थापित करने, गोपनीयता बनाए रखने के लिए मकैनिज्म तैयार करने का फैसला काफी पहले ले लिया था। मुझे खुशी है कि इस दिशा में कई अफसरों ने मेहनत व समयबद्ध तरीके से काम किया है, जिसके कारण राज्य में पांच लैब काम करने लगी हैं। अब न्याय का इंतजार करने वालों को भटकना और परेशान नहीं होना होगा।

लव जेहाद ड्राफ्ट कमेटी की गृहमंत्री विज ने ली बैठक

चंडीगढ़। गृहमंत्री अनिल विज ने लव जेहाद मामलों और नई चुनौती को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को धर्मान्तरण विरोधी कानून का प्रारूप शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विज का कहना है कि इसे शीघ्र लागू करने की सरकार की मंशा है। गृहमंत्री अनिल विज ने बृहस्पतिवार मंत्रालय में इस संबंध में आयोजित प्रारूप समिति की बैठक की अध्यक्षता की। विज ने कहा कि इस कानून के बनने से राज्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा दबाव, प्रलोभन,शादी का झांसा या अन्य अनैतिक तरीकों से धर्म परिवर्तन करवाने के प्रयास पर रोक लगेगी तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। समिति द्वारा लाए गए प्रारम्भिक प्रारूप के सभी पहलुओं पर गहनता से विचार मंथन किया गया। अनिल विज ने कहा कि अन्य प्रदेशों में इस विषय पर बने कानूनों का भी अध्ययन किया चुका है। बैठक में अधिकारी भी मौजूद रहे।

डायल 112 का ट्रायल रन : चंडीगढ़। पंचकूला एवं गुरुग्राम में बृहस्पतिवार को एमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 का ट्रायल-रन किया गया। इस दौरान करीब 11640 कॉल प्राप्त हुईं।

महाशक्तिशाली सिकंदरे आज़म (हर्बल औषधि) कैप्सूल
हाशमी अमरोहा द्वारा निर्मित
नई ताकत, सेहत, जवानी व उमंग के साथ सुखमय विवाहित जीवन का आनन्द लें जी भर कर
तुष्टि पुष्टि संतुष्टि के लिए
मेडिकल स्टोर से खरीदें या फोन करें
09212358677
09015270020

इस्जेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड

CIN : L23423HR1933PLC000097
पंजी. कार्यालय : रादौर रोड, यमुनानगर-135001, हरियाणा
Ph.: 01732-661061, E-mail Id: roynr@isgec.com, Website: www.isgec.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशंस एवं डिस्क्लोजर आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 42 और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों 2014 के नियम 10 (1) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के अनुसरण में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष हेतु अंतरिम लाभांश के भुगतान के प्रयोजन हेतु एक रिकॉर्ड तिथि 25 फरवरी 2021 निर्धारित की गई है।

कृते इस्जेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड
हस्ता/-
(एस.के. खोराना)
कार्यकारी निदेशक एवं कम्पनी सचिव

स्थान : नोएडा
दिनांक : 11.02.2021

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग

बेज नं. 67-70, सेक्टर-2, पंचकूला-134151
वेबसाइट : www.hssc.gov.in

निरस्तीकरण सूचना

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञा. सं. 4/2015 दिनांक 28.06.2015, श्रेणी सं. 16, जोकि विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था और एचएसएससी वेबसाइट अर्थात् www.hssc.gov.in पर भी उपलब्ध है, के संदर्भ में, जिसके द्वारा पीजीटी (संस्कृत) (शेष हरियाणा कैडर) के पद हेतु यूआरएल पता : http://adv42015.hryssc.in/ StaticPages/HomePage.aspx के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र आमंत्रित किये गये थे।

हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग चण्डीगढ़ के ए.सी.एस. के मैमो सं. 4/105-2012 एचआरएल (4) दिनांक 09.02.2021 के अनुसार सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विज्ञा. सं. 4/2015 श्रेणी सं. 16 के तहत पीजीटी (संस्कृत) (शेष हरियाणा कैडर) के 626 पदों को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

स्थान : पंचकूला
दिनांक : 10 फरवरी 2021
संवाद विज्ञा. सं. 1159/13/26/2021/1765/88/6 दि. 11.02.21

हस्ता/- सचिव,
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग,
पंचकूला

सरकारी कार्यालयों को पेपर लैस करने से बढ़ेगी क्षमता

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा है कि हमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन के अनुरूप सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू करते हुए उन्हें पेपरलेस करना है। डॉ. गुप्ता बृहस्पतिवार को यहां हरियाणा निवास में ई-ऑफिस प्रक्रिया के सम्बंध में समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों की फाइलों को ई ऑफिस के माध्यम से आगे बढ़ाए जाने से कामों में पारदर्शिता आएगी और किसी भी व्यक्ति के काम में विलंब नहीं होगा। इससे सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों की क्षमता भी बढ़ेगी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में ई-फ़ाइल और ई-रसीद को लगभग 25,000 उपयोगकर्ताओं द्वारा डिजिटल रूप से 20,00,000 से अधिक बार आगे बढ़ाया गया है। फ़ाइलों को डिजिटल तरीके से बढ़ाए जाने से कागज की बचत हुई है और सरकारी फाइल प्रसंस्करण प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में वृद्धि हुई है। 95,000 से अधिक ई-फाइलों को 10,40,000 से अधिक बार मूव किया गया है।

■ ई-ऑफिस प्रक्रिया में प्रगति की समीक्षा बैठक में बोले डॉ. गुप्ता

श्रद्धांजलि

महान देशभक्त व उच्चकोटि के चिंतक थे दीनदयाल उपाध्याय

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बृहस्पतिवार को अंत्योदय दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान देशभक्त, उच्चकोटि के चिंतक, शिक्षाविद्, वक्ता व साहित्यकार थे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन देश व समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय दर्शन हम सबके लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा स्त्रोत हैं। उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते हुए हम प्रदेश में अंत्योदय को साकार करने का काम कर रहे हैं।

■ पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी श्रद्धांजलि

हरियाणा लोक सेवा आयोग

बेज नं. 1-10, ब्लॉक-बी, सेक्टर-4, पंचकूला

घोषणा

यह उन उम्मीदवारों की सामान्य जानकारी हेतु एतद द्वारा घोषणा की जाती है जो विभिन्न समाचार-पत्रों में 29.12.2018 को प्रकाशित विज्ञा. सं. 5(X) ऑफ 2018 के प्रत्युत्तर में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा में अर्थशास्त्री (श्रेणी-I) के 01 पद के तहत आवेदन कर चुके थे।

अब आयोग ने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की हार्ड कॉपी मांगने का निर्णय किया है। इसलिये, सभी उम्मीदवार जो उपरोक्त पद हेतु आवेदन कर चुके थे, को ऑनलाइन जमा करवाये गये आवेदन प्रपत्र और शैक्षणिक योग्यताओं, जाति, हरियाणा निवासी, ईएसएम / डीईएसएम / ईडब्ल्यूएस / पीएच / ईएसपी इत्यादि के प्रमाण-पत्रों जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में दावा किया गया था, की स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी 26.02.2021 तक भेजने का परामर्श दिया जाता है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त हार्ड प्रतियों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। प्रमाण-पत्रों सहित हार्ड प्रतियां sr1hpsc@gmail.com को ई-मेल द्वारा भेजी जानी चाहिए, किसी अन्य मोड के माध्यम से / द्वारा प्राप्त हार्ड प्रतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

टिप्पणी :- भिन्न प्रकार से अपात्र / अनअर्हक उम्मीदवारों द्वारा केवल हार्ड प्रतियों को जमा करवाना, साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

यह सूचना आयोग की वेबसाइट http://hpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

दिनांक : 11.02.2021
हस्ता/- सचिव
हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकूला

हरियाणा लोक सेवा आयोग

बेज नं. 1-10, ब्लॉक-बी, सेक्टर-4, पंचकूला

घोषणा

यह उन उम्मीदवारों की सामान्य जानकारी हेतु एतद द्वारा घोषणा की जाती है जो विभिन्न समाचार-पत्रों में 29.12.2018 को प्रकाशित विज्ञा. सं. 5(ix) ऑफ 2018 के प्रत्युत्तर में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा में मण्डलीय मृदा संरक्षण अधिकारी / वरिष्ठ विश्लेषक एवं समकक्ष (श्रेणी-I) के 03 पदों के तहत आवेदन कर चुके थे।

आयोग ने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की हार्ड कॉपी मांगने का निर्णय किया है। इसलिये, सभी उम्मीदवार जो उपरोक्त पद हेतु आवेदन कर चुके थे, को ऑनलाइन जमा करवाये गये आवेदन प्रपत्र और शैक्षणिक योग्यताओं, जाति, हरियाणा निवासी, ईएसएम / डीईएसएम / ईडब्ल्यूएस / पीएच / ईएसपी इत्यादि के प्रमाण-पत्रों जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में दावा किया गया था, की स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी 26.02.2021 तक भेजने का परामर्श दिया जाता है। उक्त तिथि के पश्चात, हार्ड प्रतियों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। प्रमाण-पत्रों सहित हार्ड प्रतियां sr1hpsc@gmail.com को ई-मेल द्वारा भेजी जानी चाहिए, किसी अन्य मोड के माध्यम से / द्वारा प्राप्त हार्ड प्रतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

टिप्पणी :- भिन्न प्रकार से अपात्र / अनअर्हक उम्मीदवारों द्वारा केवल हार्ड प्रतियों को जमा करवाना, साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

यह सूचना आयोग की वेबसाइट http://hpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

दिनांक : 11.02.2021
हस्ता/- सचिव
हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकूला

संवाद विज्ञा. सं. 1156/13/8/2021/1783/88/6 दि. 11.02.21

हरियाणा लोक सेवा आयोग

बेज नं. 1-10, ब्लॉक-बी, सेक्टर-4, पंचकूला

घोषणा

यह उन उम्मीदवारों की सामान्य जानकारी हेतु एतद द्वारा घोषणा की जाती है जो विभिन्न समाचार-पत्रों में 05.07.2019 को प्रकाशित विज्ञा. सं. 5(3) ऑफ 2019 के प्रत्युत्तर में हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में मैनेजर लीगल (ग्रुप-ए) के 01 पद के तहत आवेदन कर चुके थे।

आयोग ने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की हार्ड कॉपी मांगने का निर्णय किया है। इसलिये, सभी उम्मीदवार जो उपरोक्त पद हेतु आवेदन कर चुके थे, को ऑनलाइन जमा करवाये गये आवेदन प्रपत्र और शैक्षणिक योग्यताओं, जाति, हरियाणा निवासी, ईएसएम / डीईएसएम / ईडब्ल्यूएस / पीएच / ईएसपी इत्यादि के प्रमाण-पत्रों जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में दावा किया गया था, की स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी 26.02.2021 तक भेजने का परामर्श दिया जाता है। उक्त तिथि के पश्चात, हार्ड प्रतियों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। प्रमाण-पत्रों सहित हार्ड प्रतियां sr1hpsc@gmail.com को ई-मेल द्वारा भेजी जानी चाहिए, किसी अन्य मोड के माध्यम से / द्वारा प्राप्त हार्ड प्रतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

टिप्पणी :- भिन्न प्रकार से अपात्र / अनअर्हक उम्मीदवारों द्वारा केवल हार्ड प्रतियों को जमा करवाना, साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

यह सूचना आयोग की वेबसाइट http://hpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

दिनांक : 11.02.2021
हस्ता/- सचिव
हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकूला

गुमशुदा/अपहृत लड़के की तलाश

बजिन्दर

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़का नाम **बजिन्दर, पुत्र श्री खुजान, निवासी गॉव कंडेला ज़िला जिंद हरियाणा।** उम्र : 25 साल, कद : 5'5", गोरा रंग, अंडाकार चेहरा, पतला शरीर जिसने खाकी रंग की पुरी बाजू की टी-शर्ट, नीली पाजामा, ग्रे व काले रंग के जूते पहने हुए **दिनांक 26.01.2021 नांगलोई चौक** थाना क्षेत्र **नांगलोई, दिल्ली** से गुमशुदा/अपहृत है। स्थानीय पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश करने के बावजूद भी इस लड़के का पता नहीं चल सका है।

इस संदर्भ में मुकदमा **प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 72/2021 दिनांक 08.02.2021 धारा 365 भा.द.स. थाना नांगलोई बाहरी ज़िला दिल्ली** में दर्ज है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस गुमशुदा/अपहृत लड़के के बारे में कोई भी जानकारी/सूचना हो तो निम्नलिखित को सूचित करने की कृपा करें।

ई-मेल : cic@cbi.gov.in
फैक्स : 011-23011334
फोन : 011-23014046, 011-23015218

थानाध्यक्ष,
थाना, नांगलोई, दिल्ली
DP/678/OD/2021 फोन : 011-25949470, 7065036167, 7065036187

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआरपीसी देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **नवीन उर्फ कुक्कू उर्फ गगन, पुत्र रामफल पताः पूरानी चौपाल के पास, नांगल कलां, सोनीपत, हरियाणा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 772/17 धारा 354/379/392 भा.द.स. के तहत दिनांक 25.12.17** थाना बेगमपूर दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **नवीन उर्फ कुक्कू उर्फ गगन** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **नवीन उर्फ कुक्कू उर्फ गगन** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। अतः इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 772/17 धारा 354/379/392 भा.द.स. के तहत दिनांक 25.12.17 थाना बेगमपूर, दिल्ली के उक्त नवीन उर्फ कुक्कू उर्फ गगन** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **28.04.2021** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
सुश्री सान्या दलाल
महानगरीय मजिस्ट्रेट,
महिला कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली
DP/654/RD/2021

इस्जेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : रादौर रोड, यमुनानगर-135001, हरियाणा
CIN: L23423HR1933PLC000097, Ph: +91-120-4085405, Fax: +91-0120-2412250
Email: cfo@isgec.com, Website: www.isgec.com

31.12.2020 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का सार

(अर्जन प्रति शेयर को छोड़कर रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन			समेकित		
		समाप्त तिमाही	समाप्त नौ माह	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त नौ माह	समाप्त तिमाही
		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
		(अअंकेक्षित)	(अअंकेक्षित)	(अअंकेक्षित)	(अअंकेक्षित)	(अअंकेक्षित)	(अअंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	1,18,570	3,00,337	1,33,626	1,42,342	3,84,987	1,71,483
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)	7,465	19,165	6,389	9,651	26,020	8,494
3.	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	7,465	19,165	6,389	9,651	26,020	8,494
4.	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	5,529	14,450	4,869	6,488	18,455	6,303
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [(अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	5,540	14,525	4,874	6,500	18,906	6,344
6.	इक्विटी शेयर कैपिटल	735	735	735	735	735	735
7.	रिजर्व्स (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में दर्शाये अनुसार		1,46,316			1,77,725	
8.	अर्जन प्रति शेयर (रु. 1/- प्रत्येक के) (ए) बेसिक (रु. में) (बी) डायल्युटेड (रु. में)	7.52 7.52	19.65 19.65	6.62 6.62	9.01 9.01	25.08 25.08	7.88 7.88

टिप्पणी :-

1. कम्पनी के उपरोक्त स्टैंडअलोन एवं समेकित परिणामों की समीक्षा ऑडिट कमेटी द्वारा कर ली गई और 11 फरवरी 2021 को आयोजित उनकी सम्बन्धित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर लिये गये।
2. कम्पनी के वित्तीय परिणाम कम्पनी (भारतीय लेखा मानदंड) नियमों, 2015, इसके पश्चात् संशोधित अनुसार, के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानदंड (Ind AS) के अनुरूप तैयार किये गये हैं।
3. मै. कैविट बायोफ्यूल्स प्रोड्यूसर्स आईएनसी. (सीबीपीआई) के साथ पहुंचे मध्यस्थता के समझौते के सम्बन्ध में, कम्पनी 03 अक्तूबर 2019 को इसके सम्पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सहायक इस्जेक इनवेस्टमेंट्स प्रा. लि. के माध्यम से इससे सम्बन्धित परिसम्पत्तियों और देनदारियों तथा ग्रुप कम्पनियों के साथ सीबीपीआई अर्जन कर चुकी थी। Ind AS 103 के तहत अनुमत्य अनुसार 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही तक "बिजनेस कम्बीनेशन", कम्पनी मदों की अंतरिम राशि, जिसके लिये उचित मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित था, रिपोर्ट कर चुकी थी। 30 सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान कम्पनी अर्जन तिथि को उचित मूल्य पर प्रारम्भिक अकाउंटिंग पूर्ण कर चुकी है और इस प्रकार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष और 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु तुलनात्मक जानकारी संशोधित कर दी गई है।
4. कम्पनी जिससे सम्पत्ति, प्लांट और उपकरण, अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों, निवेशों, वस्तु सूचियों, प्राप्तियोग्य ट्रेड इत्यादि की राशि जारी रखने और कम्पनी के प्रचालनों पर अब तक अनुमुलझी कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संभावित प्रभावों पर विचार कर चुकी है। इस प्रयोजन हेतु, कम्पनी क्रेडिट रिपोर्ट और सम्बन्धित जानकारी, आर्थिक पूर्वानुमानों, कुछ निवेशों की मार्केट वैल्यू इत्यादि समेत वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तिथि तक जानकारी के आंतरिक और बाह्य स्रोतों पर विचार कर चुकी है। वर्तमान आकलनों पर आधारित, कम्पनी इस प्रकार के जारी रखे जाने वाले मूल्यों पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं करती है। कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 का प्रभाव वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तिथि के अनुसार आकलन किये गये विवरणों से अलग हो सकता है।
5. कम्पनी का निदेशक मंडल रु. 1/- प्रत्येक के रु. 2/- प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा कर चुका है। लाभांश के प्रयोजन हेतु रिकॉर्ड तिथि 25 फरवरी 2021 है।
6. नियुक्ति और नियुक्ति-पश्चात लाभों के दौरान कर्मचारी लाभों के सम्बन्ध में सोशल सिक्योरिटी 2020 पर संहिता ("संहिता") को सितम्बर 2020 में भारतीय संसद का अनुमोदन और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। संहिता भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है और तदोपरांत, 13 नवम्बर 2020 को, ड्राफ्ट नियम प्रकाशित किये गये, और साझेदारों के सुझाव आमंत्रित किये गये। यद्यपि, जिस तिथि को संहिता अमल में आयेगी, अधिसूचित नहीं की गई है। जब यह अमल में आयेगी तो संहिता के प्रभाव का कम्पनी मूल्यांकन करेगी और संहिता के प्रभाव में अमल में आने की अवधि में किसी सम्बन्धित प्रभाव को रिकार्ड करेगी।
7. सेबी (लिस्टिंग ओब्लीगेशंस एवं घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के पास दायर किये गये वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार ऊपर दिया गया है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.isgec.com पर उपलब्ध हैं।

कृते इस्जेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड
(आदित्य पुरी)
प्रबंध निदेशक

दिनांक: 11 फरवरी